



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 289 राँची, मंगलवार,

23 मई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

5 अप्रैल, 2023

संख्या-04/स्था० पद०-02-03/2020 का.1979--कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी सदर के पद पर पदस्थापित **श्रीमती उषा मुण्डू**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 92/20, गृह जिला राँची), को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-04/स्था० पद०-02-03/2020 का.1980--कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार सदर के पद पर पदस्थापित **श्रीमती प्रीति सिन्हा**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 302/20, गृह जिला राँची), को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-04/स्था० पद०-02-03/2020 का.1981--प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ सदर के पद पर पदस्थापित **श्रीमती ऐनी रिन्कु कुजूर**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 290/20, गृह जिला गुमला), की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अवर सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-04/स्था० पद०-02-03/2020 का.1982--प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कामडारा (गुमला) के पद पर पदस्थापित **श्रीमती अमृता प्रियंका एक्का**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 548/20, गृह जिला- राँची), की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक सहायक निदेशक, डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-04/स्था० पद०-02-03/2020 का.1983--कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित **सुश्री रीना कुजूर**, झा०प्र०से० (षष्ठम बैच, गृह जिला राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री कुजूर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत रामगढ़ जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

संख्या-04/स्था० पद०-02-03/2020 का.1984--कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित **श्रीमती कोमल कुमारी**, झा०प्र०से० (षष्ठम बैच, गृह जिला चतरा), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्रीमती कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत खूँटी जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

संख्या-04/स्था० पद०-02-03/2020 का.1985--कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित **सुश्री आकांक्षा कुमारी**, झा०प्र०से० (षष्ठम बैच, गृह जिला लातेहार), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत पलामू जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

संख्या-04/स्था० पद०-02-03/2020 का.1986--कार्यपालक दण्डाधिकारी, मेदिनीनगर सदर के पद पर पदस्थापित श्री **विनोद राम**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 119/20, गृह जिला राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii श्री राम को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत लोहरदगा जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है ।

2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
